कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, चतरा

पत्रांक– 08 /

प्रेषक :– जिला शिक्षा अधीक्षक
सह–अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी,
चतरा।

सेवा में;

रामेश्वर लाल खण्डेलवाल
विद्या मंदिर (RLK) विद्या मंदिर)
मारवाड़ी मोहल्ला– चतरा

चतरा, दिनांक– 04.01.2018

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्ष का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता–प्रमाण पत्र।

महाशय;

आपके द्वारा दिनांक– 25.05.17 को प्राप्त आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मै रामेश्वर लाल खण्डेलवाल विद्या मन्दिर (R.L.K. Vidya Mandir), मारवाड़ी मोहल्ला, चतरा को शैक्षणिक सत्र 17-18 से कक्षा L.K.G. से VIII तक के लिये मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता निहित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबन्धों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालकों के लिये, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :–
   i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुतीर्ण या विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा।
   iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताओं के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उक्त निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागु होने के समय नहीं है, पाँच वर्षो के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।
   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।
10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है :–
   i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
   ii. कुल निर्मित क्षेत्र
   iii. क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्र
   iv. कक्षाओं की संख्या
   v. प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिये कक्ष
   vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
   vii. पेयजल सुविधा
   viii. मिड–डे–मिल पकाने के लिये रसोई (सरकारी विद्यालय)
   ix. बाधा रहित पहुँच
   x. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेश/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 2007 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

विश्वासभाजन

24/11/2018

जिला शिक्षा अधीक्षक
सह–अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी
चतरा

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, चतरा।

पत्रांक ....70..........

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी,
चतरा ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा,
झारखण्ड, राँची ।

चतरा, दिनांक...15/01/2018...

विषय : **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता-प्रमाण पत्र ।**

महाशय

उपर्युक्त विपयक सादर अंकित करना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता-प्रमाण पत्र विद्यालयों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ हेतु समर्पित की जा रही है :-

1. इन्दिरा गाँधी आवासीय विद्यालय प्रोफेसर कॉलोनी नगवां, चतरा ।
2. वन्दे माँ पब्लिक स्कूल (वी.एम.पी.) ऊंटामोड़, चतरा ।
3. रामेश्वरलाल खण्डेलवाल विद्या मन्दिर, चतरा ।
4. राम कृष्ण परमहंस विद्यालय, सिमरिया ।
5. सन राईज पब्लिक स्कूल केवला प्रखण्ड-ईटखोरी ।
6. संत स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल कन्दरी करमा, प्रखण्ड-कान्हाचट्टी ।
7. आदर्श शिक्षा निकेतन लक्ष्मणपुर, प्रखण्ड-चतरा ।
8. रॉयल एकेडमी आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-हंटरगंज ।
9. प्रोग्रेसिव चिलड्रेन एकेडमी, प्रखण्ड-हंटरगंज ।

विश्वासभाजन

15/01/18

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी,
चतरा।